HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7454/2026
CNR: RJHC020449612026 | URN: CRLMB / 13575U / 2026

Narayan Singh S/o Ghanshyam Singh, Aged About 36 Years, R/o Rundhiya Nagar, Post Bharatpur, Distt. Bharatpur (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anutosh Mishra Mr. Ashish Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना बहरोड़, जिला–भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 360/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 409 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसकी पालना में प्रार्थी ने अन्वेषण में भाग ले लिया है तथा उनसे अन्वेषण पूर्ण भी किया जा चुका है। अब प्रार्थी–अभियुक्त से अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्त से अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है तथा अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.05.2026 की पालना में प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्वेषण में भाग ले लिया है, जिससे अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा उससे किसी प्रकार की अभिरक्षात्मक अन्वेषण की आवश्यकता होना प्रकट नहीं किया गया है। अतः मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्त प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/49/VISHAL SHARMA